कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी,बीघापुर,उन्नाव|

पत्रांक:- 263 /2023-24 दिनांक:-25/08/2023

कार्यालय आदेश

समस्त प्रधानाध्यापक/इंचार्ज शिक्षक,
ब्लॉक बीघापुर जनपद उन्नाव।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवम राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के पत्रांक प्री -प्राइमरी / Community connect program/ 5976/2023-24 दिनांक 16/ अगस्त /2023 के क्रम में प्राथमिक /कम्पोजिट विद्यालय परिसर में अवस्थित (को-लोकेटेड) आगनबाडी केन्द्रों में माता उन्मुखीकरण (Mother Orientation) कार्यक्रम अगस्त माह 2023 से मार्च 2024 तक प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाना है | जिसका मुख्य उद्देश्य माताओं को बच्चों के देखभाल के साथ-साथ औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करने में उनकी भूमिका से अवगत कराना है |
माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में नामांकित बच्चे उनके अभिभावक,प्रधानाध्यापक,नोडल अध्यापक, आगनबाडी कार्यकत्री (को-लोकेटेड),सुपरवाईजर,ग्राम स्तर से आमंत्रित वरिष्ठ नागरिक आदि प्रतिभाग हेतु बुलाया जाये |कार्यक्रम परस्पर संवाद एवम खुली चर्चा के रूप में आयोजित किया जाए |
अतः उक्त के क्रम में समस्त प्राथमिक /कम्पोजिट विद्यालय परिसर में अवस्थित (को-लोकेटेड) आगनबाडी केन्द्रों में माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम निर्धारित तिथि के अनुसार करवाना सुनिश्चित करें। एवम कार्यक्रम से सम्बंधित फोटो भी ग्रुप पर साझा करें।

दिनांक	न्याय पंचायत
29 अगस्त 2023	करनाईपुर, टेढ़ा,अधुर्जपुर,बारा हरदो,रायपुर,सगवर,रौतापुर,अकबरपुर
30 अगस्त 2023	धमनीखेड़ा,मगरायर,पाही हरदो,रूझेई,इन्देमऊ,कटरा दीवान खेड़ा,अकवाबद

संलग्नक:- खण्ड शिक्षा अधिकारी
बीघापुर, उन्नाव

1) महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवम राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से इस संबंध में निर्गत पत्र।

पत्रांक व दिनाँक उक्तवत
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1) प्राचार्य/उप शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा एवम प्रशिक्षण संस्थान,उन्नाव।
2) मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे) षष्ठ मण्डल, लखनऊ।
3) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव।
4) डायट मेंटर।
5) समस्त नोडल शिक्षक संकुल उक्तवत के क्रम में महानिदेशक महोदय के पत्र में दिए गये दायित्व के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
5) आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवम सुपरवाईजर ।

खण्ड शिक्षा अधिकारी
बीघापुर,उन्नाव

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय,

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ–226 007

वेब–साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई–मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-2780995, 0522-2780384

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :प्री–प्राइमरी / Community Connect Program / 5976 / 2023–24 दिनांकः 16 / अगस्त / 2023

विषय : विद्यालय परिसर में अवस्थित (को–लोकेटेड) आंगनबाडी केन्द्रों में माता उन्मुखीकरण (Mother's Orientation) कार्यक्रम आयोजित किये जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आधारभूत साक्षरता के प्रथम सोपान के रूप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को चिन्हित किया गया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत समग्रता के साथ पूर्व बाल्यावस्था एवं देखभाल शिक्षा के समस्त आयाम समाहित हैं। पूर्व बाल्यावस्था एवं देखभाल शिक्षा बच्चों (3 से 6 आयुवर्ग) को विकास के आरंभिक वर्षों के दौरान स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल और सीखने के अवसर उपलब्ध कराती है। संबंधित आयुवर्ग के बच्चे सबसे अधिक अपनी माता से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। उक्त को ध्यान में रखते हुए बच्चों के समग्र विकास हेतु बच्चों की प्रथम शिक्षिका अर्थात् माता को बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं सीखने के अवसर से संबंधित बिंदुओं पर उन्मुखीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य माताओं को बच्चों के देखभाल के साथ–साथ औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करने में उनकी भूमिका से अवगत कराते हुए प्रेरित करना है।

माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु दिशा निर्देश निम्नवत् हैं–

1. माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम माह अगस्त से प्रारंभ करते हुए, प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जायेगा। **प्रथम बैठक दिनांक 28 से 31 अगस्त 2023 के मध्य आयोजित की जायेगी।** आगामी माह में अंतिम सप्ताह में आयोजन हेतु दिवस एवं तिथि का निर्धारण संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
2. समस्त नोडल शिक्षक संकुल का उन्मुखीकरण राज्य स्तर पर दिनांक 11 अगस्त 2023 को यू–टयूब सेशन आयोजित करते हुए किया जा चुका है। नोडल शिक्षक संकुल अपने संकुल के प्रधानाध्यापक, नोडल अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकत्री एवं सुपरवाइजर का उन्मुखीकरण राज्य स्तर से प्राप्त पावर प्वाइन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से संकुल स्तरीय बैठक आयोजित करते हुए सम्पन्न करायेंगे। उन्मुखीकरण कार्यक्रम में वह अध्यापक सम्मिलित होंगे, जिनके विद्यालय परिसर में आंगनबाडी केन्द्र संचालित है।

माता उन्मुखीकरण (Mother Orientation)

आयोजन स्थलः– प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालय जिनके परिसर में आंगनबाडी केन्द्र संचालित हों।
आयोजन सप्ताहः– प्रत्येक माह का अंतिम सप्ताह
अगस्त माह में आयोजन हेतु निर्धारित तिथिः– 28 से 31 अगस्त 2023 के मध्य।
आयोजन तिथिः– संबंधित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा माह के अंतिम सप्ताह के दिवस एवं तिथि का निर्धारण किया जायेगा।
प्रतिभागी :– आंगनबाडी केन्द्र में नामांकित बच्चे उनके अभिभावक के रूप में माता विद्यालय के प्रधानाध्यापक, नोडल अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकत्री (को–लोकेटेड), सुपरवाइजर, ग्राम स्तर से आमंत्रित वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित नागरिक आदि।

- ✓ **माह सितम्बरः**– पशु–पक्षी एवं पर्यावरण संबंधी बिंदु।
- ✓ **माह अक्टूबरः**– हमारे मददगार। वे सहयोगी जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी मदद करते हैं जैसे डॉक्टर, पुलिस से संबंधित प्रतिनिधि, पोस्टमैन (डाकिया), बढई, कुम्हार, लोहार आदि।
- ✓ **माह नवम्बरः**– यातायात के साधन।
- ✓ **माह दिसम्बरः**– त्योहार एवं पर्व (राष्ट्रीय पर्व को सम्मिलित करते हुए)
- ✓ **माह जनवरीः**– मौसम, ऋतु
- ✓ **माह फरवरीः**– जल के विभिन्न रूप, उसके महत्व एवं आवश्यकता से संबंधित।
- ✓ **माह मार्चः**– फल एवं सब्जियां।

4. **प्रधानाध्यापक एवं नोडल अध्यापक के दायित्वः**– विद्यालय के प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि दिये गये विषय पर प्रत्येक माह **संलग्न मिनट् टू मिनट के अनुसार** आंगनबाडी कार्यकत्री एवं सुपरवाइजर के साथ मिलकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हुए कार्यक्रम में सहयोग देंगे। आमंत्रित अतिथियों के जलपान आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

5. **नोडल शिक्षक संकुल के दायित्वः**– राज्य परियोजना स्तर से प्राप्त उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक माह के माता उन्मुखीकरण कार्यक्रमः थीम/विषय पर आवश्यक गतिविधियों को सम्मिलित करने हेतु प्रधानाध्यापक, नोडल अध्यापक, सुपरवाइजर एवं आंगनबाडी कार्यकत्री का उन्मुखीकरण करना सुनिश्चित करेंगे।

6. **खण्ड शिक्षा अधिकारी के दायित्वः**– खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में कार्यक्रम आयोजित करने हेतु तिथि एवं दिवस निर्धारित करते हुए प्रत्येक माह न्यूनतम 05 माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जायेगा। नोडल शिक्षक संकुल के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय में आयोजित माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम से संबंधित गूगल फार्म पर सूचना प्राप्त करते हुए, विकास खण्ड स्तर पर संरक्षित करेंगे। विकास खण्ड के किन्ही 10 विद्यालयों (भिन्न न्यायपंचायत से) की सूचना राज्य स्तर से प्रेषित गूगल फार्म के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. **जिला समन्वयक प्रशिक्षण के दायित्वः–** जिला समन्वयक प्रशिक्षण का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक विकास खण्ड से प्रति माह आयोजित होने वाले माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम की तिथि प्राप्त करेंगे। इसके साथ जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक माह माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु जनपद स्तरीय टीम का गठन कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक माह सम्पन्न हुये माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के आयोजन संबंधित विवरण खण्ड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त करते हुए राज्य स्तर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. **डायट मेंटर के दायित्वः–** प्रत्येक माह अपने विकास खण्ड के किन्हीं 05 विद्यालयों में उक्त कार्यक्रम का अनुश्रवण करते हुए अपना फीडबैक खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

9. **नोडल एसआरजी के दायित्वः–** प्रत्येक माह जनपद के किन्हीं 05 विद्यालयों में उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए आवश्यक अनुश्रवण एवं फीडबैक खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

10. **आंगनबाडी कार्यकत्री का सहयोगः–** आंगनबाडी कार्यकत्री नामांकित बच्चों की माताओं से संपर्क करेंगी तथा कार्यक्रम के महत्व को स्पष्ट करते हुए माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु उन्हें प्रेरित करेंगी।

11. **सुपरवाइजर का सहयोगः–** बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग से सुपरवाइजर विशेष रूप से आंगनबाडी कार्यकत्रियों से समन्वय स्थापित करते हुए माता, अभिभावकों को आमंत्रित करने में सहयोग देंगी तथा उक्त का अनुश्रवण भी करेंगी।

वित्तीय प्राविधानः–

1. माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल रू0 2113.44000 लाख (इक्किस करोड तेरह लाख चव्वालिस हजार रूपये) प्री–प्राइमरी **PrePrimaryExisting** आवर्तक मद के अंतर्गत 52836 को–लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्र युक्त विद्यालयों हेतु प्रतिमाह रू0 500/– की दर से कुल 8 माह हेतु वित्तीय लिमिट जारी की जा रही है।
2. जनपद द्वारा उक्त धनराशि विद्यालय प्रबंध समिति के खातों में रू0 500/– प्रतिमाह की दर से 8 माह हेतु कुल रू0 4000/– की लिमिट जारी की जायेगी।
3. उक्त धनराशि का व्यय माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों के जलपान एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
4. अवमुक्त धनराशि का उपभोग फाइनेन्शियल मैनेजमेंट एण्ड प्रोक्योरमेंट 2018 के प्राविधानों के अंतर्गत किया जाये तथा संबंधित व्यय पी0एम0एस0 पोर्टल (प्रबन्धन) पर पूर्व प्राथमिक

स्तर (**PrePrimary Sr No 134 Pre-Primary (Recurring)**) शीर्षक के अंतर्गत अंकित किया जायेगा।

5. संबंधित मद में किये गये उपभोग से संबंधित बिल वाउचर आदि पत्रजात जनपद, ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर पर संरक्षित रखे जायेंगे।

कृपया उक्तानुसार दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन करते हुए नियमित रूप से प्रत्येक माह **''माता उन्मुखीकरण'' कार्यक्रम** का आयोजन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– उक्तवत।

भवदीय

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
एवं
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याः–प्री–प्राइमरी शिक्षा / Community Connect Program / 5976 / 2023–24 लखनऊ, तद्दिनॉक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 भासन।
4. **निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यक्रम में आंगनबाडी एवं सुपरवाइजर द्वारा सहयोग प्रदान करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।**
5. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
6. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
7. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
8. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0।
9. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
10. जिला कार्यक्रम अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
11. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, उ0प्र0।
12. जिला समन्वयक प्रशिक्षण, समस्त जनपद, उ0प्र0।

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
एवं
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश।